रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934
No. 148] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सा.का.नि. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में, "इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग" से सम्बन्धित क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

क्र स	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"9.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोडाइजिंग उद्योग	अ. बहिस्राव मानक	
			सान्द्रण सीमा मि ग्रा/लीटर में pH और तापमान को छोड़कर
		(i) अनिवार्य पैरामीटर	
		pH	6.0 से 9.0
		तापमान	प्रापक निकाय के परिवेशी तापमान से 5^0 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं
		तेल व ग्रीस	10
		निलम्बित ठोस कण	100
		कुल धातु *	10
		ट्राईक्लारोइथेन	0.1
		ट्राईक्लोरोइथाइलीन	0.1

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित पैरामीटर	
		क. निकल व क्रोम प्लेटिंग	
		अमोनिकल नाईट्रोजन यथा N	50
		निकल यथा Ni	3
		हैक्जावैलेन्ट क्रोमियम, यथा Cr	0.1
		कुल क्रोमियम, यथा Cr	2
		सल्फाइड्स, यथा S	2
		सल्फेट्स, यथा SO_4^{2-}	400
		फास्फेट्स, यथा P	5
		ताँबा, यथा Cu	3
		ख. जिंक प्लेटिंग	
		साइनाइड्स, (यथा CN^-)	0.2
		अमोनिकल नाईट्रोजन यथा N	50
		कुल अवशिष्ट क्लोरीन, यथा Cl	1
		हैक्जावैलेन्ट क्रोमियम, यथा Cr	0.1
		कुल क्रोमियम, यथा Cr	2
		जिंक, यथा Zn	5
		सीसा, यथा Pb	0.1
		लौह, यथा Fe	3
		ग. कैडमियम प्लेटिंग	
		साइनाइड्स, (यथा CN^-)	0.2
		अमोनिकल नाईट्रोजन यथा N	50
		कुल अवशिष्ट क्लोरीन, यथा Cl	1
		हैक्जावैलेन्ट क्रोमियम, यथा Cr	0.1
		कुल क्रोमियम, यथा Cr	2
		कैडमियम] यथा Cd	2
		घ. ऐनोडाइजिंग	
		अमोनिकल नाईट्रोजन, यथा N	50
		कुल अवशिष्ट क्लोरीन, यथा Cl	1
		एलुमिनियम	5
		फ्लोराइड्स यथा F	15
		सल्फेट्स, यथा SO_4^{2}	400
		फास्फेट्स, यथा P	5
		ङ. . ताँबा, टिन प्लेटिंग	
		साइनाइड्स, (यथा CN^-)	0.2
		ताँबा, यथा Cu	3
		टिन	2
		च. बहुमूल्य धातु प्लेटिंग	
		साइनाइड्स, (यथा CN^-)	0.2
		कुल अवशिष्ट क्लोरीन, यथा Cl	1
		चांदी	1.2
		सोना	1.0

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)
		आ. उत्सर्जन+	
		(i) अनिवार्य पैरामीटर	
		अम्ल मिस्ट (HCl & H_2SO_4)	50
		(ii) प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित पैरामीटर	
		क. निकल व क्रोमियम प्लेटिंग	
		निकल**	5
		हैक्सावेलेंट क्रोमियम**	0.5
		ख. जिक, तांबा व कैडमियम प्लेटिंग	
		सीसा**	10
		साइनाइड्स (यथा CN)	5
		* कुल धातु की गणना बहिस्राव में Zn+Cu+Ni+Al+Fe+Cr+Cd+Pb+Sn+Ag की संयुक्त सांद्रता से की जायेगी।	
		** विद्यमान इकाईयाँ तारांकित प्रदूषकों के मानकों का अनुपालन 1 जनवरी, 2013 तक सुनिश्चित करेंगी। तथापि नई इकाईयाँ मानकों का अनुपालन संयंत्र के प्रचालन की तिथि से करेंगी।	
		+ उत्सर्जन मानक उन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयों पर लागू होंगे जिनकी जल की खपत कम से कम 5 घन मीटर/दिन है। ये इकाईयाँ अपने उत्सर्जन को सतह से कम से कम 10 मीटर या इकाई के शेड/भवन से 3 मीटर, जो भी अधिक हो ऊंची चिमनी के माध्यम से	
		इ. वर्षा जल	
		टिप्पण: (i) किसी इकाई (जिसके प्लाट का आकार कम से कम 200 वर्ग मीटर हो) के वर्षा जल को मार्जक जल, बहिस्राव और/अथवा तलधुलाई अपजल के साथ मिलाने के लिये अनुमति नहीं दी जाएगी। (ii) इकाई की अंतसीमा के वर्षा जल को वर्षा के 10 मिनट की संग्रहण क्षमता (घंटे के औसत) के एच.डी.पी.ई. परत वाले गर्त के माध्यम से अलग नाली के द्वारा बहाया जाएगा।"	

[फा. सं. क्यू-15017/44/2009-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और इसके पश्चात सं. का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987 और अभी हाल में: सा.का.नि. 512(अ) तारीख 9 जुलाई 2009: सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई 2009: सा.का.नि. 595(अ) तारीख 21 अगस्त 2009: सा.का.नि. 794(अ) तारीख 4 नवम्बर 2009: सा.का.नि. 826(अ) तारीख 16 नवम्बर 2009: सा.का.नि. 01(अ) तारीख 1 जनवरी 2010: सा.का.नि. 61(अ) तारीख 5 फरवरी 2010: सा.का.नि. 485(अ) तारीख 9 जून 2010: सा.का.नि. 608(अ) तारीख 21 जुलाई 2010: सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर 2010 और सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर 2010: सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011: सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011: सा.का.नि. 354(अ) तारीख, 02 मई, 2011: सा.का.नि. 424(अ), तारीख, 01 जून, 2011: सा.का.नि. 446(अ), 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), 16 मार्च, 2012 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2012

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, for serial number 9 relating to "Electroplating Industry" and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
"9.	Electroplating, Anodizing Industry	**A.- Effluent Standards**	
			Limiting concentration in mg/l, except for pH and Temperature
		(i) Compulsory Parameters	
		pH	6.0 to 9.0
		Temperature	shall not exceed 5°C above the ambient temperature of the receiving body
		Oil & Grease	10
		Suspended Solids	100
		Total Metal*	10
		Trichloroethane	0.1
		Trichloroethylene	0.1
		(ii) Specific Parameter as per process	
		a. Nickel and Chrome plating	
		Ammonical Nitrogen, as N	50
		Nickel, as Ni	3
		Hexavalent Chromium, as Cr	0.1
		Total Chromium, as Cr	2
		Sulphides,as S	2
		Sulphates, as SO_4^{2-}	400
		Phosphates, as P	5
		Copper as Cu	3
		b. Zinc plating	

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)
		Cyanides, (as CN^-)	0.2
		Ammonical Nitrogen, as N	50
		Total Residual Chlorine, as Cl	1
		Hexavalent Chromium, as Cr	0.1
		Total Chromium, as Cr	2
		Zinc, as Zn	5
		Lead, as Pb	0.1
		Iron, as Fe	3
		c. Cadmium plating	
		Cyanides, (as CN^-)	0.2
		Ammonical Nitrogen, as N	50
		Total Residual Chlorine, as Cl	1
		Hexavalent Chromium, as Cr	0.1
		Total Chromium, as Cr	2
		Cadmium, as Cd	2
		d. Anodizing	
		Ammonical Nitrogen, as N	50
		Total Residual Chlorine, as Cl	1
		Aluminium	5
		Flourides, as F	15
		Sulphates, as SO_4^{2-}	400
		Phosphates, as P	5
		e. Copper, Tin plating	
		Cyanides, (as CN^-)	0.2
		Copper, as Cu	3
		Tin	2
		f. Precious Metal plating	
		Cyanides, (as CN^-)	0.2
		Total Residual Chlorine, as Cl	1
		B.- Emission Standards+	
			Limiting concentration in mg/m^3, unless stated
		(i) Compulsory parameters	
		Acid mist (HCl & H_2SO_4)**	50
		(ii) Specific parameters as per process	
		a. Nickel & Chromium plating	
		Nickel**	5
		Hexavalent Chromium**	0.5
		b. Zinc, Copper or Cadmium plating	
		Lead**	10
		Cyanides, (Total)**	5
		* 'Total Metal' shall account for combined concentration of Zn+Cu+Ni+Al+Fe+Cr+Cd+Pb+Sn+Ag in the effluent. + Emission standards shall be applicable to electroplating units having water consumption atleast 5 m^3/day. These units shall	

IndiaCode

1171 GI/12-2

(1)	(2)	(3)	(4)
		channelize their emission through a stack or chimney having height at least 10 metres above ground level or 3 metres above top of shed or building of the unit, whichever is more. ** The existing units shall comply with the norms of asterisked pollutants by 1st January 2013. However, new units shall comply with the norms with effect from commissioning of plant.	
		C. Stormwater	
		Note: (i) Stormwater for a unit (having plot size atleast 200 square metres) shall not be allowed to mix with scrubber water, effluent and/or floor washings. (ii) Stormwater within the battery limits of a unit shall be channelized through separate drain/pipe passing through a High Density Polyethylene (HDPE) lined pit having holding capacity of ten minutes (hourly average) of rainfall.".	

[F. No. Q-15017/44/2009-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), 19th November, 1986; subsequently amended vide S.O. 433 (E), dated 18th April 1987; G.S.R. 512 (E), dated the 9th July, 2009;G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595 (E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826 (E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61 (E), dated 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E) ,dated 21st July, 2010 ; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010 ; and G.S.R. 809(E), dated, 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated, the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated, the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated, the 2nd May , 2011; G.S.R. 424 (E), dated, the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E),13th June, 2011; and GSR 152 (E),dated the 16 th March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode